स0स0–9/ आ0–04–17/ 2014

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

## संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि **डा0 अरूण कुमार गुप्ता**, तत्कालीन **प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय** अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

उक्त **डा0 अरूण कुमार गुप्ता** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

**डा0 गुप्ता** असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए **डा0 अशोक कुमार यादव, उपनिदेशक (चि0 शि0) स्वास्थ्य विभाग, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, **सिविल सर्जन, बेगूसराय के प्रतिनिधि को** नियुक्त किया जाता है ।

**डा0 अरूण कुमार गुप्ता** को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है ।

<u>आदेशः</u> आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

**प्रतिलिपिः** साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, **डा0 अशोक कुमार यादव, उपनिदेशक (चि0 शि0) स्वास्थ्य विभाग, पटना** को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

**प्रतिलिपि :** क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर/ क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमण्डल पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

**प्रतिलिपिः** साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **सिविल सर्जन, बेगूसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यवाही में अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए संचालन पदाधिकारी एवं विभाग को शीघ्र सूचित करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 409 (9) /स्वा0, पटना, दिनांक : 15/5/2015

**प्रतिलिपिः** साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **डा0 अरूण कुमार गुप्ता**, तत्कालीन **प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :** प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

E/Sankalp folder 2013